<u>प्रतिवेद्य</u>

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय

आपराधिक अपीलीय अधिकारिता

<u>आपराधिक अपील सं. 1328-1329 सन् 2019</u>

(SLP (आपराधिक) सं. 9981-9982 सन् 2017 से उद्भूत

उत्तर प्रदेश राज्य .....अपीलार्थी(गण)

बनाम

अमन मित्तल एवं अन्य .....प्रत्यर्थी(गण)

<u>सह</u>

<u>आपराधिक अपील सं. 1330-1331 सन् 2019</u>

(SLP (आपराधिक) सं. 1912-1913 सन् 2018 से उद्भूत

<u>आपराधिक अपील सं. 1332 सन् 2019</u>

(SLP (आपराधिक) सं. 3321 सन् 2018 से उद्भूत)

<u>निर्णय</u>

<u>न्यायमूर्ति, हेमंत गुप्ता,</u>

<u>क्रि.अपील सं. 1328-1329 सन् 2019 (@SLP (आपराधिक) सं. 9981-9982 सन् 2017)</u>

और

<u>क्रि.अपील सं.1330-1331 सन् 2019 (@SLP (आपराधिक) सं. 1912-1913 सन् 2017)</u>

1) अनुमति प्रदान की गई।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

2) इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ बेंच द्वारा पारित दिनांकित 4 अक्टूबर, 2017 का आदेश इन अपीलों में चुनौती का विषय है।

3) 28 अप्रैल, 2017 को एफआईआर सं. 130 भारतीय दंड संहिता, 1860[आपीसी] की धारा 265, 267, 420, 34, 120-बी और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955[अधिनियम,1955] की धारा 3/7 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए पुलिस स्टेशन कैंट, लखनऊ के साथ 5 लीटर की प्रत्येक बिक्री पर 200-220 मिली लीटर द्वारा पेट्रोल और डीजल की कम डिलीवरी के संबंध में अपराध दर्ज किया गया था।

4) 27 अप्रैल, 2017 को, राज्य पुलिस के विशेष कार्यबल[एसटीफ] ने लखनऊ शहर के भीतर संचालित विभिन्न खुदरा केन्द्रों का अपराध के कारित होने की अर्थात् पेट्रोलियम उत्पादों का कम वितरण अर्थात् हाई स्पीड डीजल और मोटर स्प्रीट की अनुवेषण की। तौल और माप विभाग के अधिकारियों की सहायता से एसटीएफ और जिला प्रशासन ने खुदरा दुकानों के परिसर पर छापा मारा। टीम ने पाया कि 15 नोजल चार मशीनों से जुड़े हैं अर्थात् अच्छी तरह से सीलबद्ध वितरण इकाइयाँ संचालित और कार्यशील थीं। परीक्षण अपर नगर मजिस्ट्रेट, तौल और माप विभाग के दो निरीक्षकों और फर्म मेसर्स शिवनारायण एण्ड सन्स एवं उनके प्रबंधक की उपस्थिति में किया गया था। 27 अप्रैल, 2017 को दर्ज किए गए निरीक्षण प्रदर्श के अनुसार, 15 नोजल में से, 10 नोजल का उपयोग पेट्रोल की बिक्री के लिए और शेष 5 नोजल का उपयोग डीजल की बिक्री के लिए किया गया था। 13 नोजलों का प्रयोग कम प्रतिदान हेतु कदाचार में लिप्त थे। टीम ने क्रमशः 5 लीटर पेट्रोल और डीजल परीक्षण कार्य मानक माप में प्राप्त किया जो आउटलेट बट कैलीब्रेशन हेतु रखा था। यह पाया गया कि 200 मिलीलीटर की मात्रा कम थी। ऐसी कम वितरण के लिए उपरोक्त वर्णित प्राथमिकी दर्ज की गयी।

5) एफआईआर में, यह आरोप लगाया गया है कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक चिप को वितरण इकाई के अंदर डाला गया था जो एक रिमोट के माध्यम से संचालित किया गया। तीन रिमोट कंन्ट्रोलर जो सं. 2, 3 और 4 बरामद किए गए और बिना किसी संख्या के दो रिमोट कंन्ट्रोलर बरामद किए गए। निरीक्षण दल ने भूमिगत टैंक में दी गयी तारीख को डिप रॉड के माध्यम से उपलब्ध स्टॉक के भंडारण का सत्यापन भी किया। वास्तविक भण्डार के सत्यापन पर, डीलर द्वारा बनाए गए तुलनात्मक अभिलेखों को असंगत पाया गया, बल्कि उपलब्ध स्टॉक अत्यधिक पाया गया और तदनुसार दर्ज किया गया। वितरण मशीनों को निरीक्षण दल द्वारा सील कर दिया गया था और बिक्री तुरंत रोक दी गई थी। आरोपियों को 28 अप्रैल, 2017 को गिरफ्तार किया गया था। बाद में, 1 जून, 2017 को, सिटी मजिस्ट्रेट सहित सात व्यक्तियों के साथ अनुवेषण अधिकारी ने खुदरा केन्द्रों का दौरा किया और जनरल एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा रखे गये तकनीशियन ने वितरण मशीनों को देखा। सील निरीक्षण के प्रारंभिक चरण यानी दोनों में अर्थात् 27 अप्रैल 2017 और 1 जून, 2017 को बरकरार पाए गए। अनुवेषण अधिकारी द्वारा 24 वितरण इकाइयों के अंदर डाले गए इलेक्ट्रॉनिक चिप्स को हिरासत में ले लिया गया। 1

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

जून, 2017 को बरामद किए गए ऐसे इलेक्ट्रॉनिक चिप्स अब अपनी फोरेंसिक रिपोर्ट के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, लखनऊ के पास हैं। अनुवेषण अधिकारी द्वारा किए गए एक अभ्यावेदन पर मजिस्ट्रेट ने 7 जून, 2017 को आरोपी के न्यायिक प्रतिप्रेषण की अनुमति दी और आईपीसी की धारा 467, 468, 471 और विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 12/30 के तहत अनुवेषण की अनुमति दी।

6) यह आईपीसी की धारा 265, 267, 420, 34, 120 बी और अधिनियम, 1955 की धारा 3 और 7, आईपीसी की धारा 467, 468, 471 और माप और तौल अधिनियम, 1976 की धारा 12/30 के तहत अपराधों के लिए 25 जुलाई, 2017 की आरोपपत्र के आधार पर सक्षम न्यायालय के समक्ष दायर की गई। मजिस्ट्रेट ने साक्ष्य के लिए आईपीसी की धारा 471 और 120 बी के तहत अपराध का संज्ञान नहीं लिया, लेकिन मजिस्ट्रेट ने अधिनियम की धारा 30 के तहत अपराध का संज्ञान लिया है।

7) इसके बाद 26 जुलाई, 2017 को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973[संहिता] की धारा 167(2) और 190(1) के तहत दो आवेदन दायर किए गए थे कि अभियोजन पक्ष के पास आरोप-पत्र में उल्लिखित अपराधों का मामला बनाने वाली कोई सामग्री नहीं है। इसलिए, संज्ञान नहीं लिया जा सकता है। विद्वत मजिस्ट्रेट ने 27 जुलाई, 2017 को दोनों आवेदनों को खारिज कर दिया। इसके बाद उच्च न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 482 के तहत याचिका दायर की गई थी, जिसे वर्तमान अपील में लगाए गए एक आदेश द्वारा तय किया गया था। उच्च न्यायालय ने कानून के निम्नलिखित प्रश्नों की अनुवेषण करते हुए एक विस्तृत आदेश पारित किया है:

> " (i) क्या विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 के प्रख्यापन को ध्यान में रखते हुए, भार और उपायों से संबंधित अपराध, विशेषकर वितरण मशीनों के माध्यम से जनता को बेचे जाने वाले पेट्रोलियम उत्पादों की लघु सुपुर्दगी, पुलिस प्राधिकारियों द्वारा भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के निबंधनानुसार पंजीकृत और अनुवेषण किए जाने के लिए खुले हैं या उक्त प्रयोजन के लिए भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंध विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 51 के आधार पर बेदखल/खत्म/अच्छादित हो जायेंगे।
>
> (ii) क्या विधिक मापविज्ञान अधिनियम, और आवश्यक वस्तु अधिनियम और उसके तहत परिकल्पित प्रक्रिया का माप और तौल उपायों से संबंधित अपराधों के संबंध में अनुवेषण/खोज और जब्ती के रूप में दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

(iii) क्या अनुवेषणअधिकारी द्वारा यह मानते हुए अनुवेषण की गई है कि यह स्वीकार्य था, तारीख के अनुसार लागू प्रासंगिक कानून के अनुरूप है या नहीं और यदि नहीं, तो इसका प्रभाव।

(iv) क्या अपराधों का संज्ञान लेते समय अधीनस्थ न्यायालय ने कानून के सुव्यवस्थित सिद्धांतों के अनुसार आदेश पारित किए हैं और यदि नहीं , तो इसका प्रभाव।

(v) मामले में आवश्यक निर्देश और निदेशक।"

8) यह माना गया था कि संहिता तब तक लागू होता है जब तक कि संज्ञेय या असंज्ञेय अपराधों के संबंध में विशेष विधि के तहत एक अलग प्रक्रिया निर्धारित नहीं की जाती है, लेकिन आईपीसी के प्रावधानों के मामले में आवश्यक बहिष्करण प्रावधान और निर्देशों का आलोक में आवेदन को विशेष विधि के व्यापक दायरे में समझा जाना चाहिए। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 3 और 51 को देखते हुए, उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया:

"अधिनियम के अन्य उपबंधों के साथ इस उपबंध के पठन से, इस अधिनियम, 2009 के प्रयोजन की पूर्ति करने का तार्किक निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि धारा 26 के अधीन अपराध को छोड़कर मापविज्ञान अधिनियम, 2009 के अधीन अन्य सभी अपराध पहली बार किए जाने पर असंज्ञेय और शमनीय हैं; जबकि अधिनियम की धारा 26 के अधीन अपराध दंड प्रक्रिया संहिता और अन्य अपराधों के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार, जब दूसरी बार भी किया गया है, असंज्ञेय अपराध है इस प्रकार, सीआरपीसी के तहत अनुवेषण, पूछताछ और परीक्षण की प्रक्रिया तदनुसार लागू होगा, जैसा कि विशेष अधिनियम के तहत संबंध में कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं है।"

9) यह आगे कहा गया कि अधिनियम की धारा 26 आईपीसी की धारा 264 से 267 के प्रावधानों को अधिरोहित करती है क्योंकि अधिनियम की धारा 51 में स्पष्ट रूप से आईपीसी और संहिता की धारा 153 के आवेदन को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि यह बाट और मापके संबंध में संबंधित है। विशेष अधिनियम के तहत। उच्च न्यायालय के तहत आयोजित:

"किसी अपराधी के विरुद्ध एक बार विशेष अधिनियम या धारा 26 के किसी उपबंध का उल्लंघन, जैसा कि वर्तमान मामले में स्थिति है, यह बिल्कुल भी भारतीय दंड संहिता की धारा 264 से 267 के अतिक्रमण को आकर्षित नहीं करेगा और अभियोजन विशेष अधिनियम के अधीन सुसंगत उपबंधों द्वारा मार्गदर्शित होने के लिए बाध्य है विशेष

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

अधिनियम ने सभी विवरणों के अपराधों को परिभाषित करके पूरे अध्याय को प्रतिस्थापित किया है और उन्हें असंज्ञेय अपराधों की प्रकृति में वर्गीकृत किया है, जैसे कि प्रक्रिया को पहले अन्य कानूनों के खिलाफ अपराधों के वर्गीकरण Cr. PC की प्रथम अनुसूची तक आपराधिक मुकदमा चलाने के अनुसार लागू किया जाना चाहिए।"

10) उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि विचारण न्यायालय ने आईपीसी की धारा 34, 120 बी, 471 या अधिनियम के 26 के तहत अपराध का संज्ञान नहीं लिया है। इसलिए, इस बात का कोई कारण नहीं है कि 7 जुलाई, 2017 और 17 अगस्त, 2017 को पारित आदेशों के आलोक में, अपराधों का संज्ञान लेने के प्रयोजनों के लिए न्यायालय ऐसी सामग्रियों को ध्यान में क्यों नहीं रख सकता है। उच्च न्यायालय ने माना कि आईपीसी की धारा 467, 468, 471, 120-बी और 34 स्पष्ट रूप से लागू होगी।

11) तीसरे प्रश्न के संबंध में, उच्च न्यायालय ने जिला न्यायाधीश, लखनऊ को भूमिगत टैंक में पड़े बचे हुए स्टॉक के मात्रात्मक और गुणात्मक आंकड़ों का पता लगाने का निर्देश दिया और स्थापित वितरण पंप के माध्यम से उचित अंशांकन के बाद स्टॉक को तेल कंपनी को हिरासत में लेने की अनुमति दी। उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए:

"(i) मुकदमा अपराध सं. 130/2017 में अनुवेषण के लिए विनिर्दिष्ट अनुवेषण अधिकारी आगे से बदल जायेगा और पुलिस अधीक्षक (शहर), उत्तर, लखनऊ वर्तमान में इसके द्वारा आगे की अनुवेषण करने और जिला न्यायाधीश, लखनऊ के साथ मिलकर वितरण इकाइयों के माध्यम से उसी के उचित अंशांकन के बाद संबंधित तेल कंपनी को जब्त भूमिगत टैंकों में पेट्रोल/डीजल की हिरासत प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। जिला न्यायाधीश/अनुवेषणअधिकारी बाट और माप और तेल कंपनी के विभाग द्वारा तुरंत मांग पर प्रदान किए जाने वाले कैलिब्रेटेड कंटेनरों में गुणवत्ता और मात्रा की अनुवेषण के लिए नमूने एकत्र करेगा। नमूने, वैधानिक आदेश, 2005 में निर्दिष्ट गुणवत्ता/मात्रा अनुवेषण के लिए प्रदान किए गए नमूने संग्रह की प्रक्रिया के अनुसार एकत्र किए जाएंगे;

(ii) जिला न्यायाधीश, लखनऊ, यहां अधिकृत विवेचना अधिकारी के साथ संयुक्त रूप से संबंधित न्यायालय को बचे हुए स्टॉक की अंशांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जो इस आदेश की एक प्रति इस न्यायालय के वरिष्ठ निबंधक द्वारा उन्हें सूचित की गई तारीख से 15 दिनों की अवधि से बाद में संबंधित नहीं है।;

(iii) जिला न्यायाधीश, लखनऊ के साथ मिलकर विवेचना अधिकारी ने जब्ती फर्द/प्राथमिकी में उल्लिखित आंकड़ों की विधिवत तुलना करके संबंधित टैंक में स्टॉक के

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

अंशांकन की रिपोर्ट संयुक्त रूप से स्पष्ट करेगा और परिणामी अत्यधिक आंकड़ों का उल्लेख स्पष्ट आंकड़ों में किया गया है, जो प्रत्येक वितरण इकाई में संगणक से सहायता लेते हैं और साथ ही शुरुआत/समाप्ति के समय उनके फोटोग्राफिक साक्ष्य भी रखते हैं;

(iv) नमूना रिपोर्टों के प्रयोजनों के लिए, जिला न्यायाधीश/विवेचना अधिकारी संयुक्त रूप से वैधानिक आदेश, 2005 में अधिसूचित किसी भी निकटतम रक्षा प्रयोगशाला से गुणवत्ता अनुवेषण की आवश्यकता के लिए अधिकृत हैं और काउंटर के पैरा-22 में उल्लिखित किसी भी केंद्र से मात्रा की अनुवेषण करते हैं। मुख्य सचिव, यूपी सरकार द्वारा शपथ पत्र रिपोर्टों को शीघ्रता से बुलाया जाएगा और नमूनों को प्रस्तुत करने की तारीख से 6 सप्ताह की अवधि से बाद में आपूर्ति करने का अनुरोध किया जा सकता है। इस प्रकार प्राप्त रिपोर्ट जिला न्यायाधीश द्वारा अनुमोदन के पश्चात् अन्वेषण अधिकारी द्वारा संबद्ध न्यायालयों में दायर की जा सकेगी;

(v) जब्त वितरण मशीनों को मालिक को दी जाए, यथाशीघ्र भूमिगत टैंकों में अवशिष्ट स्टॉक संबंधित तेल कंपनी को सौंप दिया जाता है, जिसके लिए तेल कंपनी विवेचना अधिकारी को परिचालन मार्गदर्शन के अलावा सभी परिवहन और बिना किसी पारिश्रमिक के विद्ववत जिला न्यायाधीश हिरासत की सुविधा प्रदान कर

(vi) अनुवेषण अधिकारी इस फैसले में की गई टिप्पणियों के संदर्भ में अनुपूरक रिपोर्ट दो महीने की अवधि के बाद नहीं प्रस्तुत करेगा, पिछले अनुवेषण अधिकारी से सभी सामग्रियों और रिकॉर्ड को उस रूप में लेकर जिसमें खोज और जब्ती की गई थी; और

(vii) तेल कंपनियों को अब से भ्रष्टाचार को रोकने के लिए वितरण मशीनों में आवश्यक ढहने वाले पल्सरों का उपयोग करना होगा। इस प्रकार, राज्य सरकार को चार महीने से अधिक समय के नियोजित समय ढांचे के भीतर तेल कंपनियों के परामर्श से इस तरह के उपकरण की स्थापना को लागू करने के लिए निर्देशित किया जाता है। '

12) इस न्यायालय के समक्ष राज्य के साथ-साथ अभियुक्तों में से एक अपील में हैं। शुरुआत में, पक्षकारों के विद्वत अधिवक्ता ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों को कानून में बनाए नहीं रखा जा सकता है, इसलिए, अगर इस तरह के निर्देशों को अपास्त किया जाता है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इस तरह के निर्देश इस तथ्य के मद्देनजर अपास्त किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं कि उच्च न्यायालय, संहिता की धारा 482 के तहत अधिकारिता का प्रयोग

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

करते हुए, **एम.सी अब्राहम एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य**[(2003) 2 SSC 649] में इस न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में, अनुवेषण के तरीके में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। जिसमें इसे निम्नानुसार आयोजित किया गया था: -

> "13. इस न्यायालय ने *जे.ए.सी सलदानहा* [(1980) 1 एससीसी 554: 1980 एससीसी (क्रि) 272] के मामले में यह अवधारित किया कि अपराध का पता लगाने और अपराध दंड के सुस्पष्ट और अच्छी तरह से सीमांकित गतिविधि का क्षेत्र है। एक अपराध की अनुवेषण पुलिस विभाग के माध्यम से कार्यकारी द्वारा विशेष रूप से आरक्षित क्षेत्र है, जिस पर राज्य सरकार में अधीक्षण विहित है। यदि किसी अपराध का आरोप है, तो कार्यकारी विवेचना करने के लिए कर्तव्य के प्रति बाध्य है कि वह अपराधी को कानून के दायरे में लाये। एक बार जब यह अनुवेषण करता है और अपराध होने का पता लगाता है, तो अपराध साबित करने के उद्देश्य से साक्ष्य एकत्र करना उसका कर्तव्य है। एक बार जब यह पूरा हो जाता है और विवेचना अधिकारी न्यायालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है कि न्यायालय से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 के तहत अपराध का संज्ञान लेने का अनुरोध करता है, तो इसका कर्तव्य समाप्त हो जाता है। न्यायालय द्वारा किए जा रहे अपराध के संज्ञान पर, पुलिस के विचारण करने का कार्य धारा 173 (8) में निहित प्रावधान के अधीन समाप्त होता है, तब न्यायपालिका का न्यायिक कार्य प्रारम्भ होता कि क्या अपराध हुआ है और यदि ऐसा है तो क्या यह व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया गया है जिनपर अपराध करने का आरोप है। इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय का निर्णय और आदेश इस न्यायालय द्वारा अलग रखा गया था।"

13) इसलिए, विवेचना अधिकारी के परिवर्तन के संबंध में जारी किए गए निर्देश और जिला न्यायाधीश विभिन्न कार्रवाई से जुड़े होने के लिए, जो विशेष रूप से अनुवेषण एजेंसी के क्षेत्र में आते हैं, कोड की धारा 482 के तहत याचिका के दायरे से परे हैं और इसलिए, अपास्त होने के लिए उत्तरदायी है।

14) राज्य के विद्वत अधिवक्ता ने जोरदार तरीके से तर्क दिया कि अधिनियम आईपीसी के तहत अपराधों को बाहर नहीं करता है। यह तर्क दिया जाता है कि अधिनियम अपराधों और दंड के लिए प्रदान करता है लेकिन अधिनियम की धारा 3 और 51 को पढ़ने से आईपीसी के तहत अपराधों को बाहर नहीं किया जाता है। अधिनियम केवल उन अपराधों को ही खत्म कर देगा जो अधिनियम में निर्दिष्ट सीमा को छोड़कर, आईपीसी के तहत अपराधों के साथ असंगत हैं।

15) राज्य के विद्वत अधिवक्ता ने **महाराष्ट्र राज्य बनाम सैय्यद हसन**[20 सितम्बर 2018 को निर्णित आपराधिक अपील सं. 1195 सन् 2018] के मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश पर विश्वास जताया, जिसमें खाद्य और सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए, यह कहा गया था कि उक्त अधिनियम के प्रावधान एकमात्र नहीं हैं प्रावधान का सहारा लिया जा सकता है, अभियोजन को आईपीसी के तहत भी अपराधों के लिए दर्ज किया जा सकता है।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

राज्य के विद्वत अधिवक्ता ने **संगीतबेन महेंद्रभाई पटेल बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य**[(2012) 7 SCC 621] में इस न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश पर भी भरोसा जताया, जिसमें, चेकों के अस्वीकृत के लिए, भा. दं. सं. की धारा 420 के अधीन अपराध के लिए अभियोजन को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881[NI अधिनियम] की धारा 138 के अधीन अभियोजन किए जाने के पश्चात् भी बनाए रखा गया था यह अवधारित किया गया कि चेक के जारी रहने के समय दुराशय अर्थात् धोखाधड़ी या बेईमानी के इरादे को एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध की कार्यवाही में साबित करने की आवश्यकता नहीं है, जबकि आईपीसी के तहत मामले में, दुराशय मुद्दा प्रासंगिक है। यह अभिनिर्धारित किया गया कि भा. दं. सं. की धारा 420 और एनआई अधिनियम की धारा 138 के अधीन अपराध भिन्न हैं, जो समान तथ्यों पर हो सकते हैं।

16) दूसरी ओर, अभियुक्त के वरिष्ठ विद्वत अधिवक्ता, श्री मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि अधिनियम एक पूर्ण संहिता है जो माप और तौल के मानकों के लिए प्रदान करती है, जिस तरह से उसी का परीक्षण किया जाना आवश्यक है और उन अपराधों के लिए भी जिनके लिए कार्रवाई की जा सकती है। चूंकि अधिनियम एक विशेष क़ानून है जिसका व्यापक प्रभाव है, इसलिए, आरोपी को आईपीसी के तहत अपराधों के लिए आरोपित नहीं किया जा सकता है। **शरत बाबू दिगमर्ती बनाम सरकार (दिल्ली के एनसीटी)**[(2017) 2 SCC 18] मामले में इस न्यायालय के फैसले को अवलम्बित किया, साथ ही **गगन हर्ष शर्मा एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य**[26 अक्टूबर 2018 को निर्णित आपराधिक रिट याचिका सं. 4361 सन् 2018] के मामलें में बॉम्बे हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच का फैसला में भी, जिससे द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000[आईटी अधिनियम] के प्रावधानों पर विचार करते हुए, यह माना गया कि आईपीसी के तहत अपराध दर्ज नहीं किया जा सकता है। यह बताया गया है कि 7 दिसंबर, 2018 को इस न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिकाएं खारिज कर दी गई थीं।

17) इस पृष्ठभूमि में, मध्यस्थों के लिए विद्वत अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों की अनुवेषण करने की आवश्यकता है, लेकिन इससे पहले कि हम तर्कों की अनुवेषण करें, लागू विधियों से कुछ प्रावधानों को यहां पुन: प्रस्तुत किया जा सकता है:

> **"विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009**
>
> 2 (छ)। "विधिक मापविज्ञान" से माप विज्ञान का वह भाग अभिप्रेत है जो तौल और माप की इकाइयों, तौल और माप की पद्धतियों तथा तौल और मापने के उपकरणों को, ऐसी आज्ञापक तकनीकि और विधिक अपेक्षाओं की बाबत मानता है, जिनका उद्देश्य तोलों और मापों की सुरक्षा और शुद्धता की दृष्टि से लोक सुनिश्चित करना है;
>
> xx xx xx
>
> ***उद्घोषणा***
>
> *"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।*

3.इस अधिनियम के उपबंध इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमित में अथवा इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमित के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे।

xx xx xx

26. जो कोई किसी व्यक्ति को प्रवंचित करने की दृष्टि से या यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण होते हुए कि उससे किसी व्यक्ति को प्रवंचित किए जाने की संभावना है, किसी निर्देश मानक, द्वितीयिक मानक या कार्यसाधक मानक को किसी प्रकार बिगाड़ेगा या परिवर्तित करेगा या किसी बाट या माप में बृद्धि या कमी करेगा या परिवर्तन करेगा, सिवाय उस दशा के, जहां ऐसा परिवर्तन सत्यापन पर उसमें पाई गई किसी भूल का सुधार करने के लिए किया जाता है, वह जुर्माने से, जो पच्चास हजार तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि छह माह से कम नहीं होगी किंतु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा।

30. **मानक बाट या माप के उल्लंघन में संव्यवहारों के लिए शास्ति** - जो कोई -

(क) बाट, माप या संख्या में किसी वस्तु या चीज का विक्रय करने में, क्रेता को या उस वस्तु या चीज को ऐसी मात्रा या संख्या में परिदत्त करेगा या परिदत्त करवाएगा, जो उस मात्रा या संख्या से कम है, जिसके लिए संविदा की गई है या संदाय किया गया है;या

(ख) बाट, माप या संख्या में कोई सेवा प्रदान करने में, उस सेवा से कम सेवा प्रदान करेगा, जिसके लिए संविदा की गई है या संदाय किया गया है;या

(ग) बाट, माप या संख्या में कोई वस्तु या चीज क्रय करने में, कपटपूर्वक उस मात्रा या संख्या से अधिक उस वस्तु या चीज को ऐसी मात्रा या संख्या में प्राप्त करेगा या प्राप्त करवाएगा, जिसके लिए संविदा की गई है या संदाय किया गया है; या

(घ) बाट, माप या संख्या में कोई सेवा प्राप्त करने में, उस सेवा से अधिक सेवा प्राप्त करेगा, जिसके लिए संविदा की गई है या संदाय किया गया है, वह जुर्माने से, जो दस हजार रूपए तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा।

xx xx xx

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

51. भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 153 के उपबंध, जहां तक ऐसे उपबंध बाटों और मापों से संबधित अपराधों के बारे में हैं , ऐसे किसी अपराध को लागू नहीं होंगे जो इस अधिनियम के अधीन दंडनीय है।

"आपराधिक प्रक्रिया की संहिता, 1973

153. बाटों और मापों का निरीक्षण -(1) कोई पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी उस थाने की सीमाओं के अंदर किसी स्थान में, जब कभी उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे स्थान में कोई बाट, माप या तोलने के उपकरण हैं जो खोटे हैं, वहां प्रयुक्त या रखे हुए किन्ही बाटों या मापों या तोलने के उपकरणों के निरीक्षण या तलाशी के प्रयोजन के लिए वारंट के बिना प्रवेश कर सकता है।

(2) यदि वह उस स्थान में कोई ऐसे बाट, माप या तोलने के उपकरण पाता है जो खोटे हैं तो वह उन्हें अभिगृहीत कर सकता है और ऐसे अभिग्रहण की इत्तिला अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को तत्काल देगा।

"भारतीय दंड संहिता, 1860

265. खोटे बाट या माप का कपटपूर्वक उपयोग- जब कोई किसी खोटे बाट का या लम्बाई या धारिता के किसी खोटे माप का कपटपूर्वक उपयोग करेगा, या किसी बाट का, या लम्बाई या धारिता के किसी माप का या उससे भिन्न बाट या माप के रूप में कपटपूर्वक उपयोग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अपधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

267. खोटे बाट या माप का बनाना या बेचना- जो कोई तोलने के ऐसे किसी उपकरण या बाट को, या लम्बाई या धारिता के ऐसे किसी माप को, जिसका खोटा होना जानता है, इसलिए कि उसका खरे की तरह उपयोग किया जाए या यह सम्भाव्य जानते हुए कि

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

उसका खरे की तरह उपयोग किया जाए, बनाएगा, बेचेगा या व्ययनित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

18) हमें श्री मुकुल रोहतगी के तर्क में कोई गुणागुण नहीं मिली है कि अधिनियम एक पूर्ण संहिता है जिसमें उक्त अधिनियम के तहत अपराधों और दंड के प्रावधान शामिल हैं, इसलिए, अधिनियम के प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन के लिए, केवल अधिनियम के तहत और आईपीसी के तहत खुलासा किए जाने पर भी अपराधों के लिए नहीं, अभियोजन दर्ज किया जा सकता है।

19) **शरत बाबू दिगुमार्ती** में, आईपीसी की धारा 292 और 294 और आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत अपराधों के लिए एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस न्यायालय ने आईटी अधिनियम की धारा 67 के प्रावधानों के मद्देनजर आईपीसी की धारा 292 और 294 के तहत अपराधों का खण्डन किया।

20) परीक्षित पश्न यह था कि क्या इलेक्ट्रॉनिक रूप से निकलने वाली गतिविधि जो अश्लील हो सकती है, आईपीसी की धारा 292 या आईटी अधिनियम की धारा 67 या आईटी अधिनियम के दोनों या किसी अन्य प्रावधान के तहत दंडनीय होगी। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 292 अश्लील पुस्तकों आदि का अपराध विक्रय करती है लेकिन एक बार जब अपराध में एक सांठगांठ या कनेक्शन होता है तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के साथ धारा 79 के संरक्षण और प्रभाव को एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए विशेष प्रावधान के मद्देनजर नजरअंदाज और नकारा नहीं जा सकता है। आईटी अधिनियम को प्रभाव दिया जाना चाहिए ताकि संरक्षण को विधायी मंशा के लिए प्रभावी और सत्य बनाया जा सके। न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया:

"31. प्रावधानों पर ध्यान देने के बाद, यह पुन: प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि धारा 67 स्पष्ट रूप से इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्रियों को प्रकाशित करने, प्रसारित करने के लिए सजा को निर्धारित करती है। धारा 67-ए और 67-बी के साथ पढ़ा गया उक्त प्रावधान आईटी अधिनियम के तहत कवर किए गए अपराधों से संबंधित एक पूर्ण कोड है। धारा 79, जैसा कि व्याख्या की गई है, व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने वाला एक छूट प्रावधान है। हालाँकि, श्रेया सिंघल [श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ, (2015) 5 एससीसी 1: (2015) 2 एससीसी (Cri) 449] के आदेश में उक्त सुरक्षा का विस्तार किया गया है और हम उसी के साथ सहमति व्यक्त करते हैं।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

32. आईटी अधिनियम की धारा 81 में यह भी विशेष रूप से प्रावधान है कि अधिनियम के प्रावधान तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में निहित किसी नियम से असंगत होते हुए भी प्रभावी होगा। यदि कथित अपराध इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के अपराध से संबंधित है, तो सभी प्रावधानों का अपनी भूमिका और महत्व होगा। यह ध्यान में रखना होगा कि आईटी अधिनियम एक विशेष अधिनियम है। इसमें विशेष प्रावधान हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 292 अश्लील पुस्तकों आदि की विक्री को अपराध बताती है लेकिन जब अपराध में सांठगांठ या ताल्लुक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के साथ धारा 79 के संरक्षण और प्रभाव को नजरअंदाज और अवहेलना नहीं किया जा सकता है। हम ऐसा सोचने के लिए इच्छुक हैं क्योंकि यह एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए एक विशेष प्रावधान है और अधिनियम को प्रभाव दिया जाना चाहिए ताकि संरक्षण को विधायी मंशा के लिए प्रभावी और सत्य बनाया जा सके। यह आईटी अधिनियम की धारा 81 के पीछे जनादेश है। आईटी अधिनियम द्वारा दी गई अतिरिक्त सुरक्षा लागू होगी. "

21) **गगन हर्ष शर्मा** के मामले में मुंबई उच्च न्यायालय ने पाया है कि एक बेईमान और धोखाधड़ी अधिनियम आईटी अधिनियम की धारा 66 के दायरे में आता है और आईटी अधिनियम में असंगत किसी भी बात के बावजूद अध्यारोही प्रभाव दिया गया है, इसलिए, अपराधी आईपीसी की सीमा से बाहर हो जाता है। यह माना गया कि आईपीसी एक सामान्य क़ानून है जबकि आईटी अधिनियम एक विशेष क़ानून है और इसलिए, विशेष अधिनियमन प्रबल होगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने निम्नानुसार अवधारित किया:

"11. उक्त निर्णय को पढ़ने से, यह स्पष्ट होता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में निहित अध्यारोही प्रावधानों के प्रभाव पर विचार किया और देखा कि अधिनियम में सभी प्रावधान विशेष रूप से यदि कथित अपराध इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित हैं। यह देखते हुए कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम एक विशेष अधिनियम है और इसमें विशेष प्रावधान है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में निहित धारा 79 के प्रभाव पर भी विचार किया है जो एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए अधिनियमित किया गया है और यह देखा है कि जनादेश सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 81 के पीछे इसके उचित परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है। इसने उस बिंदु पर पहले की मिसालों का उल्लेख किया जहां एक विशेष क़ानून को एक सामान्य अधिनियम के खिलाफ पेश किया जाता है और उसके बाद संदर्भ धारा 79 और 81 बनाकर निष्कर्ष निकाला गया है कि एक बार एक आपराधिक अधिनियम को अच्छादित करने के लिए विशेष प्रावधानों को अध्यारोही प्रभाव दिया जाता है, तो अपराधी भारतीय दंड संहिता के दायरे से बाहर हो जाता है और मामला धारा 292 के तहत आता है।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

xx xx xx

21. उपरोक्त आधिकारिक घोषणाओं को ध्यान में रखते हुए , यदि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की योजना की अनुवेषण की जाएगी और प्रभाव भी दिया जाएगा। उक्त अधिनियम जो एक विशेष अधिनियम है ताकि इलेक्ट्रॉनिक आधारित लेनदेन के विकास को पूरा किया जा सके, और ई-कॉमर्स के लिए कानूनी मान्यता प्रदान की जा सके और ई-शासन की सुविधा प्रदान की जा सके और ई-प्रशासन को सुनिश्चित किया जा सके और सुरक्षा अभ्यास और प्रक्रियाओं के उपयोग के संदर्भ में दुनिया भर में सूचना प्रौद्योगिकी किया जा सके। उक्त अधिनियम में कुछ कृत्यों को दंडित करने के लिए एक पूर्ण स्लेज मैकेनिज्म है, जो मालिक या किसी अन्य व्यक्ति की अनुमति के बिना किए जाते हैं, जो कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क के प्रभारी हैं और उन कृत्यों की धारा 43 में गणना की जाती है। उक्त अधिनियम भी कुछ कृत्यों को दंडनीय बनाता है और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का अध्याय-XI ऐसे कृत्यों की गणना करता है। उसी कार्य जो अधिनियम की धारा 43 में गणना की जाती है, जो धारा 43 में चिंतन के अनुसार किसी भी जानकारी को प्राप्त करने या हासिल करने के लिए दंड और मुआवजे को आमंत्रित करेगा, धारा 66 के तहत अपराध की राशि होगी यदि कोई भी व्यक्ति, बेईमानी से, इस तरह का कार्य करता है। उक्त धारा का इस आशय का स्पष्टीकरण है कि उक्त धारा में प्रयुक्त "बेईमानी से" और "कपटपूर्वक" शब्द का वही अर्थ है जो भारतीय दंड संहिता के अधीन है ऐसी परिस्थितियों में जब सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 विशेष रूप से धारा 43 (क) और (ञ) में शामिल किसी अधिनियम से निपटने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है: -

"धारा 43 (क) ऐसे कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क (या कंप्यूटर संसाधन) तक पहुंच या संचित करती है;

43 (ज) स्टील, छुपाव करता है, नष्ट करता है या परिवर्तित करता है या किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के इरादे से कंप्यूटर संसाधन के लिए प्रयुक्त किसी भी कंप्यूटर स्रोत कोड को चोरी, छिपाना, नष्ट या परिवर्तित करने का कारण बनता है।"

और अगर यह एक कपटपूर्ण या बेईमान इरादे के साथ किया जाता है, तो यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 के तहत अपराध बन जाता है। चूंकि, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक संचार के साधनों के उपयोग से संबंधित है और इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन के उपयोग में अपराधों से निपटने के लिए अपने आप में एक पूर्ण तंत्र विकसित किया है, और

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों की पृष्ठभूमि में, धारा 66 आकर्षित किया जाएगा और उक्त अनुभाग में निहित तंत्र को देखते हुए, भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों का आह्वान अत्यधिक अनुचित है। यह दृश्य शरत बाबू दिगमार्ती (उपरोक्त) के मामले में उनके आधिपत्य से पहले ही अवगत हो चुका है। '

22) इसको नोटिस किया जा सकता है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने **सैय्यद हसन** के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर विचार किया, जिसमें इस न्यायालय ने माना है कि आईपीसी की धारा 188 के तहत अपराध दायरे में व्यापकता है और न केवल कानून के उल्लंघन को अच्छादित किया है, बल्कि उन मामलों में आकर्षित किया गया है जहां अधिनियम ने कारणों की शिकायत की या मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा किया। न्यायालय निम्नानुसार अवधारित किया है:

"24. माननीय सर्वोच्च न्यायालय का उक्त निर्णय इसलिए स्पष्टत: विशिष्ट रूप से तथ्यों पर भिन्न है, लेकिन यहां तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय ने विधि की निर्धारित स्थिति को दोहराया है कि जहां एक अधिनियम या दो चूक अध्यादेश अधिनियमों के तहत अपराधी को या तो एक या दोनों अधिनियम के तहत दंडित किया जा सकता है, लेकिन एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित करने के लिए उत्तरदायी नहीं था। यह हमेशा संभव है कि तथ्यों का एक ही सेट दो अलग-अलग कानूनों के तहत अपराध का गठन कर सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति को जो अपराध का गठन करेगा, उक्त अधिनियम के लिए दो बार दंडित नहीं किया जा सकता है।"

23) उक्त आदेश के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका बिना किसी तर्क के खारिज कर दी गई थी किन्तु इस आदेश के साथ "विशेष अनुमति याचिकाएं कर दी गई हैं"

24) हालांकि, बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी गई थी, लेकिन **खोडे डिस्टिलरीज लिमिटेड एवं अन्य बनाम श्री महादेश्वरा सहकरा सक्कारे करखेन लिमिटेड,**[(2019) 4 SCC 376] में तीन जजों की बेंच के फैसले को देखते हुए विशेष अनुमति याचिका को खारिज करने के लिए विशेष अनुमति याचिका में पारित आदेश के साथ उच्च न्यायालय के आदेश के विलय के समान नहीं है। न्यायालय निम्नानुसार अवधारित किया है:

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

"20. इसके बाद न्यायालय ने उन मामलों की संख्या का विश्लेषण किया जहां विभिन्न प्रकृति के आदेश पारित किए गए थे और उन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत करके इन निर्णयों पर विचार किया गया था:

(i) विशेष अनुमति याचिका के प्रक्रम पर खारिज करने के लिए– बिना किसी कारण के- बिना प्रांगन्याय , बिना विलीनीकरण के [वर्कमैन बनाम कोचीन पत्तन न्यास, (1978) 3 एस. सी. सी. 119 में निर्णयों पर आधारित प्रविज्ञप्ति; पश्चिमी भारत मैच कं. लि. बनाम औद्योगिक अधिकरण, ए. आई. आर. 1958 मैड 398; इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड बनाम बिहार राज्य, (1986) 4 एससीसी 146; रूप हीरे बनाम भारत संघ, (1989) 2 एससीसी 356; विल्सन बनाम कोलेचेस्टर जस्टिस, (1985) 2 ऑल ईआर 97 (एचएल); सर्वोच्च न्यायालय कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन बनाम भारत संघ (1989) 4 SCC 187; योगेन्द्र नारायण चौधरी बनाम भारत संघ(1996) 7 SCC 1;V.M Salgaocar & Bros. (P) Ltd. बनाम CIT, (2000) 5 SCC 373; श्री नारायण धरमसंघोम ट्रस्ट बनाम स्वामी प्रकाशानंद, (1997) 6 SCC 78 और महाराष्ट्र राज्य बनाम प्रभाकर भीकाजी इंग्ळे, (1996) 3 SCC 463।

(ii) कथित या युक्तियुक्त आदेश द्वारा विशेष अनुमति याचिका के खारिज करने के लिए , बिना प्रांगन्याय के; बल्कि अनुशासन का शासन और अनुच्छेद 141 को आकृष्ट किया। [पेनु बालकृष्ण अय्यर बनाम अरिय एम. रामास्वामी अय्यर, एआईआर 1965 एससी 195; अबबाई मालीगई पार्टनरशिप फर्म बनाम के. संथकुमारन, (1998) 7 एससीसी 386; शंकर रामचंद्र अभ्यंकर बनाम कृष्णजी दत्तात्रेय बापट, (1969) 2 एससीसी 74; सुशील कुमार सेन बनाम बिहार राज्य, (1975) 16 एससीसी 774; गोपबंधु बिस्वाल बनाम कृष्ण चंद्र मोहंती, (1998) 4 एससीसी 447; जूनियर टेलीकॉम ऑफिस फोरम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 1993 सप्लीमेंट (4) एससीसी 693 और सर्वोच्च न्यायालय कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन मामला, (1989) 4 एससीसी 187।

(iii) अनुमति प्रदान की गई -कारणों के बिना बर्खास्तगी-विलीनीकरण परिणाम। [तुंगभद्रा इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम ए.पी. सरकार, एआईआर 1964 एससी 1372 की]"

"26. विभिन्न निर्णयों के संकलित पठन से, हम निम्नरूप में निष्कर्षित करते हैं।

26.1. xx xx xx

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

26. 2. हम इन मामलों के लिए प्रासंगिक निष्कर्षों को निम्नानुसार दोहराते हैं : (कुन्हायामेंद मामला [कुन्हायामेंद बनाम केरल राज्य, (2000) 6 एससीसी 359], एससीसी पी 384)

"(iv) अपील करने के लिए विशेष अनुमति देने से इनकार करने वाला आदेश एक गौर-भाषिक वाला आदेश या भाषिक वाला हो सकता है। किसी भी मामले में यह विलय के सिद्धांत को आकृष्ट नहीं करता है। अपील करने के लिए विशेष अनुमति देने से इनकार करने वाला आदेश चुनौती के तहत आदेश के स्थान पर प्रतिस्थापित नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि न्यायालय अपने विवेक का इस्तेमाल करने के लिए इच्छुक नहीं था ताकि अपील दायर की जा सके।"

25) **गगन हर्ष शर्मा** में बॉम्बे हाईकोर्ट ने पाया है कि आईटी अधिनियम की धारा 66 के दायरे में एक बेईमान और धोखाधड़ी अधिनियम भी आता है। वर्तमान अपीलों में हमें यह अनुवेषण ने के लिए नहीं बुलाया गया है कि क्या आईटी अधिनियम की धारा 66 के मद्देनजर किसी अभियुक्त को आईपीसी के तहत अपराध के लिए प्रयास किया जा सकता है। इस तरह के प्रश्न को एक उपयुक्त मामले में उठाया और तय किया जा सकता है।

26) **सैय्यद हसन** में, न्यायालय ने कहा कि खाद्य और सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006 की धारा 55 विशेष अधिनियम में बनाया गया एक विशिष्ट प्रावधान है, लेकिन फिर भी आईपीसी की धारा 188 के तहत अपराध बनता है। न्यायालय निम्नानुसार अवधारित किया है:

"8. दो अलग-अलग अधिनियमों के तहत किसी अपराधी के मुकदमे या सजा पर कोई रोक नहीं है, लेकिन अपराधी को दो बार अपराध के लिए सजा देने पर रोक है। जहां एक कार्य या लोप दो अधिनियमों के तहत अपराध का गठन करता है, अपराधी को या तो एक या दोनों अधिनियमों के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है, लेकिन एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।**[टी.एस. बालैया बनाम टी.एस.रेंगाचारी-(1969) 3 एससीआर 65]**. समान तथ्यों की शृंखला, बोधगम्य मामलों में, दो अलग-अलग विधि के तहत अपराध का गठन कर सकता है। कोई कार्य या लोप आईपीसी के तहत और एक ही समय में, किसी भी अन्य विधि [**बिहार राज्य बनाम मुराद अली खान-(1988) 4 एससीसी 655]** के तहत दो विभिन्न विधियों के अन्तर्गत अपराध का गठन कर सकता है। उच्च न्यायालय को जनरल क्लाज एक्ट, 1897 की धारा 26 पर ध्यान देना चाहिए, जो इस प्रकार है:

"दो या अधिक अधिनियमितियों के अधीन दंडनीय अपराधों के बारे में उपबंध-जहां कोई कार्य या लोप दो या अधिक अधिनियमितियों के अधीन अपराध गठित करता है, वहां

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

अपराधी को उन अधिनियमों में से किसी के अधीन अभियोजित किया जाएगा और दंडित किया जाएगा किंतु वह उसी अपराध के लिए दो बार दंडित नही किया जाएगा।"

27) हालाँकि, यह प्रश्न कि क्या उस मामले के तथ्यों में प्रत्यर्थीगणों के खिलाफ धारा 188, 272, 273 और 328 आईपीसी के तहत अपराध किए गए हैं, इस मामले को संबंधित पक्षों की सामग्री की अनुवेषण करने के लिए उच्च न्यायालय को वापस भेज दिया गया था।

28) **शरत बाबू दिगुमर्ती** इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लीलता से संबंधित एक निर्णय है। इस न्यायालय ने माना है कि आईटी अधिनियम एक विशेष अधिनियम है। चूंकि अपराध में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के साथ सांठगांठ या संबंध है, इसलिए धारा 79 के संरक्षण और प्रभाव को नजरअंदाज और अवहेलना नहीं किया जा सकता है। आईपीसी की धारा 292 अश्लील पुस्तकों की बिक्री को एक अपराध के रूप में बनाती है जिसे आईटी अधिनियम में किए गए विशेष प्रावधान के मद्देनजर नहीं बनाया जा सकता है। उक्त निर्णय यह है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से संबंधित अपराध आईटी अधिनियम की धारा 67 के अंतर्गत आता है, जबकि, आईपीसी की धारा 292 मुद्रित प्रारूप में अश्लीलता के अपराध से संबंधित है, इसलिए, दो अपराध अलग-अलग क्षेत्र में काम करते हैं।

29) **संगीताबेन महेंद्रभाई पटेल** में, आईपीसी की धारा 114 के साथ पढ़ी गई धारा 406, 420 के तहत एक बाद की पहली सूचना रिपोर्ट को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि आरोपी को पहले एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध के लिए आजमाया गया है और उस पर आरोप नहीं लगाया जा सकता है। विश्वास, धोखाधड़ी और अपमान के आपराधिक उल्लंघन का अपराध जिसके लिए एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी। उक्त मामले में, न्यायालय ने कहा कि दोनों मामलों में तथ्यों का अतिव्यापी हो सकता है लेकिन अपराधों की सामग्री पूरी तरह से अलग है। इस प्रकार, बाद के मामले को एनआई अधिनियम के किसी भी प्रावधान द्वारा वर्जित नहीं किया गया है। न्यायालय निम्नानुसार अवधारित किया है:

"37. जाहिर है, अपीलकर्ता को पहले एनआई अधिनियम की धारा 138 के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराधों के लिए कोशिश की गई थी और मामला उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। तत्काल मामले में, वह भारतीय दंड संहिता की धारा 114 के साथ पठित धारा 406/420 के अधीन अंतर्निहित है। एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत अभियोजन में, दुराशय अर्थात् धोखाधड़ी या बेईमान के इरादे से चेक जारी करने के समय को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, आईपीसी के तहत इस मामले में, दुराशय का मुद्दा प्रासंगिक हो सकता है। आईपीसी की धारा 420 के तहत दंडनीय अपराध गंभीर प्रकृति की है क्योंकि 7 साल की सजा दी जा सकती है।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

38. एनआई अधिनियम के तहत मामले में, एक कानूनी अनुमान है कि चेक पूर्ववर्ती देयता का निर्वहन करने के लिए जारी किया गया था और यह अनुमान केवल चेक खींचने वाले व्यक्ति द्वारा ही लगाया जा सकता है। आईपीसी के तहत अपराधों में ऐसी आवश्यकता नहीं है। एनआई अधिनियम के तहत मामले में, यदि जुर्माना लगाया जाता है, तो इसे कानूनी रूप से लागू करने योग्य देयता को पूरा करने के लिए समायोजित किया जाना है। आईपीसी के तहत अपराधों में ऐसी आवश्यकता नहीं हो सकती है। एनआई अधिनियम के तहत मामला केवल शिकायत दर्ज करके शुरू किया जा सकता है। हालांकि, आईपीसी के तहत एक मामले में ऐसी स्थिति आवश्यक नहीं है।

39. दोनों मामलों में तथ्यों का कुछ अतिव्यापी हो सकता है लेकिन अपराधों की तत्व पूरी तरह से अलग है। इस प्रकार, बाद के मामले को पूर्वोक्त वैधानिक प्रावधानों में से किसी द्वारा वर्जित नहीं किया गया है।"

30) **संगीतताबेन महेंद्रभाई पटेल** की इस न्यायालय ने आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध के लिए अभियोजन को बरकरार रखा है, भले ही एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत अभियोजन पहले दर्ज किया गया हो। इस न्यायालय ने माना है कि आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध के लिए, *दुराशय* धारा 138 के तहत अपराध के लिए एक आवश्यक घटक है, अस्वीकृत चेक के तथ्य अपराध का खुलासा करता है। इसी तरह, **सैय्यद हसन** में, इस न्यायालय ने माना है कि खाद्य और सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006 का प्रावधान एकमात्र प्रावधान नहीं है जिसका अभियोजन दर्ज करने के लिए सहारा लिया जा सकता है। अभियोजन को आईपीसी के तहत अपराधों के लिए भी दर्ज किया जा सकता है।

31) अधिनियम की धारा 51 में यह प्रावधान है कि आईपीसी और संहिता की धारा 153 के प्रावधान यद्यपि इस तरह के प्रावधान केवल माप और तौल के संबंध में अपराधों से संबंधित हैं, किसी भी अपराध पर लागू नहीं होंगे जो अधिनियम के तहत दंडनीय है। संहिता की धारा 153 किसी अधिकारी को किसी भी तौल या माप या उपकरणों को तौल, निरीक्षण करने के लिए, उपयोग या रखने के उद्देश्य से किसी भी स्थान पर प्रवेश करने की अनुमति देती है। अधिनियम के तहत संहिता की धारा 153 को अनुचित बनाया गया है क्योंकि अधिनियम के तहत नामित अधिकारियों के साथ खोज और जब्ती की शक्ति निहित है। इसलिए, अधिनियम के तहत अभियोजन के संबंध में पूरी संहिता अनुचित है कि पुलिस किसी भी माप या तौल का निरीक्षण या खोज करने के उद्देश्य से किसी भी स्थान पर प्रवेश नहीं कर सकती है।

32) अनुवेषण किए जाने के लिए आवश्यक प्रश्न यह है कि क्या आईपीसी के तहत सभी अपराधों को अधिनियम की धारा 3 के मद्देनजर बाहर रखा गया है या केवल माप और तौल से

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

संबंधित अपराध जो आईपीसी के अध्याय XIII में निहित हैं, केवल अधिनियम की धारा 51 के मद्देनजर बाहर रखा गया है।

33) यह विवादित नहीं हो सकता है कि अधिनियम आईपीसी के सापेक्ष एक विशेष अधिनियम है। **मैकरेरी बैंक लिमिटेड बनाम शिल्पी केबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड**[(2018) 2 SCC 674] ने इस न्यायालय ने सामंजस्यपूर्ण निर्माण के एक सिद्धांत को अपनाया, जिसमें कहा गया कि दो संसदीय क़ानूनों के बीच स्पष्ट अशांति थी जिसे सामंजस्यपूर्ण व्याख्या द्वारा हल नहीं किया जा सकता है। यह न्यायालय इस प्रकार है:

> "44 इसी प्रकार, सीटीओ बनाम बिनानी सीमेंट्स लिमिटेड [सीटीओ बनाम बिनानी सीमेंट्स लिमिटेड, (2014) 8 एससीसी 319 में], दो संसदीय क़ानूनों के निर्माण के नियम को सामंजस्यपूर्ण रूप से निम्नानुसार रखा गया था: (एससीसी पीपी 332-33, पैरा 35)
>
> "35. सामान्यत: इस सिद्धांत का प्रयोग ऐसी स्थितियों में अधिक हुआ है जहाँ पर दो परिनियम हो: सामान्य या विशिष्ट बाद वाले के साथ सामान्य विषय-वस्तु के साथ अधिक विशेष रूप से या सूक्ष्म रूप से *कॉर्पस ज्यूरिस सेकुंडम*, 82 C.J.S. परिनियम § 482 अभिकथित करता है कि एक सामान्य और एक विशिष्ट परिनियम को एक ही विषय से संबंधित मानते समय, एक दूसरे के अनुरूप विधियों पर विचार करना आवश्यक है और इस तरह के परिनियम इसलिए, यदि संभव हो, एक सुसंगत विधायी नीति के प्रभाव देने के उद्देश्य से सामंजस्यपूर्ण होना चाहिए। दूसरी ओर, जहां एक सामान्य परिनियम और एक ही विषय-वस्तु से संबंधित एक विशिष्ट परिनियम को समंन्वित नहीं किया जा सकता है, विशेष या विशिष्ट परिनियम आमतौर पर नियंत्रण करेगा। इस मुद्दे पर विशेष रूप से निर्देशित किया गया प्रावधान उस प्रावधान के अपवाद या योग्यता के रूप में प्रबल होता है जो प्रकृति में अधिक सामान्य है, बशर्ते कि विशिष्ट या विशेष परिनियम में स्पष्ट रूप से विवाद में मामला शामिल हो (एडमंड बनाम संयुक्त राज्य [एडमंड बनाम संयुक्त राज्य, 1997 SCC OnLine US SC 45: 137 L Ed 2d 917: 520 US 651 (1997)], वार्डन बनाम मार्रो [वार्डन बनाम मार्रो], 1974 SCC OnLine US SC 136: 41 L Ed 2d 383: 417 US 653 (1974)])"

xx xx xx

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

47. इसी तरह, आर.एस. रघुनाथ बनाम कर्नाटक राज्य [आर.एस रघुनाथ बनाम कर्नाटक राज्य, (1992) 1 एससीसी 335: 1992 एससीसी (एल एंड एस) 286] , कर्नाटक दीवानी सेवा (सामान्य भर्ती) नियम, 1977 के नियम 3 (2) में निहित नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज को अध्यारोही प्रभाव करने के लिए कर्नाटक जनरल सर्विस (मोटर वाहन शाखा) (भर्ती) नियम, 1976 में नहीं रखा गया था। यह अवधारित किया गया था: (एससीसी पी. 348, पैरा 13)

> "13. जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज को अध्यारोही प्रभाव देने से पहले दो अधिनियमों के बीच एक स्पष्ट असंगति होनी चाहिए, लेकिन जब पहले के अधिनियमन के प्रावधानों का दायरा स्पष्ट है, तो नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज का सहारा लेकर इसे कम नहीं किया जा सकता है। तत्काल मामले में, हमने देखा है कि सामान्य नियम जिनमें से नियम 3 (2) चयन द्वारा पदोन्नति के लिए एक भाग का उपबन्ध करते हैं। तथ्य नियम 1 (3) (ए), 3 (1) और 4 के मामले में भी विशेष नियमों की प्रवर्तनीयता का प्रावधान है। सामान्य नियमों का नियम 3 ही जो भर्ती के लिए उपबन्ध और चयन द्वारा पदोन्नति के लिए भी उपबन्ध करता है और आगे कहता है कि भर्ती के तरीके विशेष नियमों में निर्दिष्ट होंगे, यदि कोई हो। इस पृष्ठभूमि में यदि हम सामान्य नियमों की अनुवेषण करते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि इन नियमों का उद्देश्य केवल सभी विभागों की सेवाओं में भर्ती के लिए व्यापक तौर पर उपबन्ध करना है और उन्हें आम तौर पर उन स्थितियों को समाविष्ट करने के लिए तैयार किया जाता है जो किसी विशेष विभाग के विशेष नियमों द्वारा समाविष्ट नहीं किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में सामान्य नियमों के नियम 1 (3) (ए), 3 (1) और 4 सहित दोनों नियमों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। यदि ऐसा है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई असंगतता नहीं है और नियम 3 (2) को सम्मिलित करके संशोधन केवल सामान्य नियमों में संशोधन है और इसकी व्याख्या विशेष नियमों का उल्घंन करने के लिए नहीं की जा सकती है। संशोधन को भी सामान्य नियमों के नियम 1 (3) (ए), 3 (1) और 4 (2) के अधीन होना चाहिए। सभी विभागों के संबंध में संशोधन को अन्य सभी विशेष नियमों को उत्सादन करने के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है। किसी दिए गए मामले में जहां कोई विशेष नियम नहीं हैं, तो स्वाभाविक रूप से सामान्य नियम लागू होंगे। सिर्फ इसलिए कि नियम 3 (2) नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज में, यह व्याख्या नहीं की जा सकती है कि सामान्य नियमों में उक्त संशोधन हालांकि बाद के समय में विशेष नियम को निरस्त कर देगा, जिसका दायरा बहुत स्पष्ट है और जो विशेष रूप से सह-अस्तित्व में है जब कोई स्पष्ट विरोध या असंगतता को परिलक्षित न हो। जैसा कि पहले ही उल्लिखत है, सामान्य नियमों के नियम 1 (3) (ए), 3 (1) और 4 स्वयं चयन द्वारा पदोन्नति के लिए और उस संबंध में विशेष नियमों की प्रवर्तनीयता के लिए उपबन्ध करते हैं। इसलिए, सामान्य और विशेष नियमों के बीच कोई स्पष्ट विरोध या असंगतता नहीं है। "

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

34) निर्धारित सिद्धांतों के आलोक में, हम पाते हैं कि अधिनियम की धारा 3 अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए अपराध और दंड के संबंध में आईपीसी के अध्याय XIII के प्रावधानों पर पूरी तरह से अध्यारोही प्रभाव डालती है, यह विशेष अधिनियम है। इसलिए, यदि अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपराध का खुलासा किया जाता है, तो अभियुक्त को आईपीसी के अध्याय XIII के तहत उसी अपराध के लिए आरोपित नहीं किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 51 को पढ़ना यह स्पष्ट करता है कि आईपीसी के प्रावधान जहां तक कि वे वे वजन या माप के संबंध में अपराधों से संबंधित हैं, किसी भी अपराध पर लागू नहीं होंगे जो अधिनियम के तहत दंडनीय है। इसलिए, आईपीसी के अध्याय XIII में के केवल वे प्रावधान जो बाट और माप के संबंध में अपराधों से संबंधित है, विहित नहीं होगें। अधिनियम के प्रावधानों के मद्देनजर आईपीसी के अध्याय XIII के तहत आने वाले वजन या माप से संबंधित अपराध के लिए किसी व्यक्ति पर आरोप नहीं लगाया जा सकता है।

35) अधिनियम की योजना बाट और माप के उपयोग अपराधों के लिए है जो अमानक हैं और किसी भी मानक, माध्यमिक मानकों या किसी भी भार या माप के कार्य मानकों के साथ छेड़छाड़ या फेरबदल करने के लिए हैं। अधिनियम भा. दं. सं. की धारा 415 या भा. दं. सं. की धारा 467, 468 और 471 के अधीन अपराधों के रूप में परिभाषित कपट से संबंधित किसी अपराध का परिकल्पित नहीं करता है इसी तरह, धारा 34 के तहत अपराध का खुलासा करने वाले एक सामान्य आशय के अनुसरण में अधिनियम के प्रावधानों द्वारा अच्छादित नहीं किया गया है। अपराध करने की आपराधिक साजिश का खुलासा करने वाला अपराध जो आईपीसी की धारा 120-बी के तहत दंडनीय है, अधिनियम के तहत भी अपराध नहीं है। चूंकि इस तरह के अपराध अधिनियम के प्रावधानों के तहत दंडनीय नहीं हैं, इसलिए, ऐसे अपराधों के लिए अभियोजन बनाए रखा जा सकता है क्योंकि इस तरह के अपराधों का परीक्षण अधिनियम के किसी भी प्रावधान के साथ असंगत नहीं है। भारतीय दंड संहिता की धारा 467, 468, 471 के अधीन अपराधों के संबंध में भी ऐसा ही उपबंध है क्योंकि ऐसे अपराध अधिनियम के उपबंधों द्वारा आच्छादित नहीं हैं

36) इस प्रकार, हम आंशिक रूप से निम्नलिखित निर्देशों के साथ वर्तमान अपील की अनुमति देते हैं:

(i) उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश, जैसा कि ऊपर पैरा 11 में उल्लिखित है, इसके द्वारा रद्द किया जाता हैं।

(ii) हम उच्च न्यायालय के इस आदेश को कायम रखते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 265 और 267 के अधीन अपराधों को रद्द किया जाता है।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

(iii) आरोपियों द्वारा दायर याचिका में अभियुक्तों के हित के खिलाफ संहिता की धारा 482 के तहत कार्यवाही में उच्च न्यायालय के निर्देश उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से परे हैं और इस प्रकार, इस तरह के सभी अवलोकनों और निर्देशों को रद्द किया जाता है।

(iv) उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देश कि पूरक रिपोर्ट में नामित अधिकारी/अधिकारी अनुशासनात्मक कार्रवाई के अधीन होंगे, फिर से आरोपपत्र को रद्द करने की मांग करने वाली संहिता की धारा 482 के तहत एक याचिका में उच्च न्यायालय के दायरे से परे हैं। इस प्रकार, रद्द की जाती है।

(v) अनुवेषण एजेंसी द्वारा इस तरह के अपराधों या किसी अन्य अपराध के लिए अभियुक्त को पूरक रिपोर्ट के माध्यम से या परीक्षण के दौरान बाद के चरण में अनुवेषण एजेंसी द्वारा उचित माना जाता है।

(vi) दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय के पूरे आदेश को अपास्त किया गया है जो उस आदेश के आईपीसी की धारा 265 और 267 के तहत आरोपों को रद्द करने से संबंधित है, लेकिन यह अनुवेषण एजेंसी के लिए खुला होगा कि वह ऐसे कदम उठाए जो विधि के अनुसार अनुवेषण पूरा करने के लिए आवश्यक हैं।

<u>दाण्डिक. अपील सं. सन् 2019 (@SLP (आपराधिक) सं. 3321 सन् 2018)</u>

37) अनुमति प्रदान की गई।

38) वर्तमान अपील माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ द्वारा दिनांक 24 नवम्बर 2017 को पारित एक आदेश को चुनौती देते हुए जिसमे अपराध संख्या 0313 थाना हसनगंज दिनांकित 28 अप्रैल 2017 अन्तर्गत धारा 265, 267, 420, 467, 468 एवं 34 आईपीसी और अधिनियम 1955 की धारा 3 एवं 7 और अधिनियम की धारा 26/30 के तहत अपराधों को रद्द करने के लिए धारा 482 के अन्तर्गत एक याचिका अपीलकर्ता द्वारा जिसको अभियोजित किया जा रहा है,दाखिल की गयी, खारिज कर दी गयी।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

39) वर्तमान अपील SLP (आपराधिक) सं. 9981-9982 सन् 2017 और 1912-1913 सन् 2018 से उत्पन्न आपराधिक अपील के साथ अंतिम सुनवाई के लिए लगी थी। उपरोक्त मामले में, यह माना गया है कि आईपीसी के अध्याय XIII के तहत अपराध अधिनियम के प्रावधानों के मद्देनजर दर्ज नहीं किया जा सकता है, जबकि आईपीसी के अन्य अपराधों के तहत अभियोजन को पोषणीय पाया गया है।

40) उक्त तथ्यों के आलोक में, वर्तमान अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी गई है। उपरोक्त अभिलिखित अपील के कारणों के आलोक में आईपीसी की धारा 265 और 267 तहत अपराधों को खारिज कर दिया गया है।

.....न्यायमूर्ति
(एल. नागेश्वरा राव)

नई दिल्ली;
04 सितम्बर 2019

.....न्यायमूर्ति
(हेमन्त गुप्ता)

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।